रजिस्ट्री सं॰ डी॰--(डी॰ एन॰)--73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1986 (आश्विन 5, 1908)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1986 (ASVINA 5, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	647
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1071
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1437
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	23283
भाग III--खण्ड 2--पैटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	603
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	--
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1685
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	141
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	647
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1071
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1437
PART II—SECTION I—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION I-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	23283
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	603
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1685
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	141
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर, 1986

सं० 72-प्रेज/86—राष्ट्रपति, अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र सेना कार्मिकों की सेवा के अभिज्ञानार्थ एक मैडल संस्थापित करते हैं और इस निमित निम्नलिखित अध्यादेश निर्मित, व्यवस्थापित एवं स्थापित करते हैं जो एक वर्ष एक हजार नौ सौ चौरासी के अप्रैल मास के पहले दिन से प्रभावी माना जाएगा।

प्रथम—यह मैडल "उच्च तुंगता मैडल" (हाई अल्टीट्यूड मैडल) कहलाएगा (इसे इसके पश्चात् मैडल कहा जाएगा)।

द्वितीय—यह मैडल वृत्ताकार होगा। यह ताम्र निकल का बना होगा। इसका व्यास 35 मि० मी० होगा और इसे सादी समतल पट्टी पर लगाया जाएगा। इसके अग्रभाग में आदर्श वाक्य सहित राज्य चिह्न उत्कीर्ण होगा और राज्य चिह्न के किनारों के साथ-साथ दोनों ओर "उच्च तुंगता मैडल" "UECHH TUNGTA MEDAL" उत्कीर्ण होगा। इसके पृष्ठ भाग पर पर्वतों के चित्र होंगे।

तृतीय—यह मैडल रेश्मी रिबन से वक्षस्थल के बायीं ओर पहना जाएगा। रिबन 32 मि० मी० चौड़ा होगा। इस रिबन का रंग गाढ़ा नीला होगा। जिसके पृष्ठ भाग पर तिरछी V आकार की 2 मि० मी० चौड़ी पट्टियां होंगी। दोनों पट्टियों के बीच 5 मि० मी० का फासला होगा।

चतुर्थ—यह मैडल मरणोपरान्त भी प्रदान किया जाएगा।

पंचम—मैडल पाने के पात्र निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिक होंगे।

(क) नियमित सेना, अंगीभूत सहायक तथा आरक्षी दलों अथवा वैधानिक रूप से गठित अन्य व सशस्त्र दलों के कमीशन अफसर, जूनियर अन्य रैंक तथा अयोधी (नामांकित)।

(ख) सशस्त्र सेना में नर्सिंग अफसर तथा परिचर्या सेवा के अन्य सदस्य।

षष्ठ—मैडल के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार होंगी :—

(क) वह व्यक्ति जिसे सीमाओं की रक्षा से संबंधित ड्यूटियों पर तैनात किया गया हो और जिसने 1 अप्रैल, 1984 से उन क्षेत्रों में तैनात यूनिट/विरचना की सक्रिय सेवा के प्रथम कार्यकाल में कुल मिलाकर 180 दिन की सेवा पूरी कर ली हो जहां के लिए उच्च तुंगता भत्ता देय है।

(ख) वायु कर्मीदल और वायु अनुरक्षण यूनिटों के सामान गिराने वाले कर्मीदल (इंजेक्शन-क्रू) का वह व्यक्ति जिसने 1 अप्रैल, 1984 से कम से कम 10 उड़ानें भरी हों या परिवहन सहायता कार्य के लिए 40 घंटे की उड़ान की हो।

सप्तम—मैडल का लघुरूप जिसे प्राप्त-कर्ता द्वारा कतिपय अवसरों पर पहना जा सकता है, ताम्र-निकल का बना होगा जिसका आकार मैडल के आकार का आधा होगा और इस लघु रूप मैडल का मुद्रांकित प्रतिरूप सुरक्षित रखा जाएगा।

अष्टम्—राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को दिए गए इस मैडल को रद्द एवं निष्प्रभावी करने तथा बाद में पुनः उस व्यक्ति को उसे प्रदान करने के लिए सक्षम होंगे।

नवम्—सरकार ऐसे अनुदेश देने के लिए सक्षम होगी जो इन अध्यादेशों के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों।

दशम्—यह मैडल सैन्य सेवा मैडल का कलारूप हिमालय के बदले में संस्थापित किया जाता है। अतः कलारूप "हिमालय" से संबंधित राष्ट्रपति सचिवालय की 17 जून, 1960 की अधिसूचना सं० 32-प्रेज/60 निरस्त समझी जाए।

सु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 सितम्बर 1986

संकल्प

सं० 20012/1/84-हिन्दी-2—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 जून 1985 के संकल्प सं० 20012/1/84-हिन्दी-2 के अनुक्रम में श्रीमती बीणा वर्मा, सदस्य, राज्य सभा को गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गैर-सरकारी सदस्य नामित करते है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मदन मोहन शर्मा
सदस्य सचिव
गृह मंत्रालय का हिन्दी सलाहकार समिति
एवं
उप सचिव, भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 1986

परिशिष्ट

सं० 14/13/82-ई० पी० जैड—इस मंत्रालय के दिनांक 4-1-84 की अधिसूचना सं० 14/13/82-ई० पी० जैड में, जो कि दिनांक 4 फरवरी,

1984 को भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड 1 क्रमांक 5 में प्रकाशित हुई है, सदस्यों की सूची क्रमांक 11 के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाए । :--

11. सचिव, भारतीय निवेश केन्द्र

विद्यमान क्रमांक 11 में लिखे सदस्य-सचिव को दोबारा से क्रमांक 12 पर लिखा जाए ।

दिनांक 28 अगस्त 1986

परिशिष्ट

सं० 14/15/82-ई० पी० जैड--इस मंत्रालय की दिनांक 30-1-1984 की अधिसूचना सं० 14/15/82-ई०पी० जैड जो दिनांक 25-2-1984 को भारत के राजपत्र भाग-I संख्या 8 में प्रकाशित हुई है में सदस्यों की सूची में क्रमांक 12 के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :--

12. सचिव, भारतीय निवेश केन्द्र -- सदस्य

सी० जी० लाल, उप सचिव

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 1986

संकल्प

सं० 4(1)/85-के० वी० आई०(1)—भारत सरकार ने दिनांक 18 फरवरी, 1985 के संकल्प द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की भूमिका और कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के लिए श्री एम० रामकृष्णय्या की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया है। समिति का कार्यकाल 30 सितम्बर, 1986 तक बढ़ाया गया था। समिति के कार्यकाल को अब 31 जनवरी 1987 तक और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :--

1. समिति के सभी सदस्य ।
2. अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई-400056
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई-400056
4. वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
5. योजना आयोग, वी० एस० आई० प्रभाग, नई दिल्ली ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

गोपाल दास मेहरोत्रा, उप सचिव

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 3 सितम्बर 1986

सं० 27/9/85-सी० एल०-2--कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कथित धारा 209क के उद्देश्य के लिए कम्पनी कार्य विभाग में निरीक्षण अधिकारी, श्री जी० बी० सक्सेना को प्राधिकृत करती है ।

शुद्धि-पत्र

सं० 27/9/85-सी० एल०-2--इस कार्यालय के दिनांक 29-10-85 के समसंख्यक आदेश में क्रमांक 4 पर आए "श्री उज्ज्वल राय" नाम को "श्री उज्ज्वल राय" पढ़ें ।

सं० 27/9/85-सी० एल०-2--इस कार्यालय के दिनांक 3-7-1986 के समसंख्यक आदेश में क्रमांक 8 पर आए "श्री ई० सेलवाराज" नाम को "श्री वी० सेलवाराज" पढ़ें ।

आर० बी० मल्होत्रा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1981

सं० 48(8)/81 भेड़--केन्द्रीय भेड़ विकास परामर्शदात्री परिषद के पुनर्गठन के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के संकल्प सं० 48(8)/81 भेड़ दिनांक 8 नवम्बर 1985 के साथ पठित संकल्प सं० 48 (8)/81 भेड़ दिनांक 3 जनवरी, 1986 के अनुक्रम में भारत सरकार ने कर्नाटक के श्री ए० वासवराजु को किसानों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामजद करने का निर्णय लिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 1986

सं० फा० 10-2/86-सांख्यिकी--भारत सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ 1 जनवरी, 1986 से स्थायी शैक्षिक सांख्यिकी समिति का पुनर्गठन करती है :

1. संयुक्त सचिव (आयोजना) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (विश्वविद्यालय) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
3. संयुक्त सचिव (स्कूल) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
4. निदेशक (आयोजना) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
5. उप शिक्षा सलाहकार शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
6. संयुक्त निदेशक रा० शै० अ० प्र० परि०, श्री अरविन्द मार्ग	सदस्य
7. सर्वेक्षण तथा आंकड़ा प्रक्रिया एकक के प्रोफेसर और अध्यक्ष रा० शै० अ० प्र० परि०, श्री अरविन्द मार्ग	सदस्य
8. निदेशक एन० आई० ई० पी० ए०, 17 बी० श्री अरविन्द मार्ग	सदस्य
9. सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग	सदस्य
10. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य
11. संयुक्त निदेशक केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	सदस्य

12. सलाहकार (अनुसंधान) — सदस्य
प्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान

13. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से एक प्रतिनिधि — सदस्य

14. निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) — सदस्य
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

15. शिक्षा सचिव — सदस्य
बिहार सरकार

16. शिक्षा सचिव — सदस्य
गुजरात सरकार

17. शिक्षा सचिव — सदस्य
हरियाणा सरकार

18. निदेशक (प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा) — सदस्य
राजस्थान सरकार

19. संयुक्त निदेशक — सदस्य
(शिक्षा) सिक्किम सरकार

20. निदेशक, स्कूल शिक्षा — सदस्य
तमिलनाडु सरकार

21. डा० जे० कृष्णय्या — गैर सरकारी सदस्य
कार्यकारी निदेशक,
प्रणाली अनुसंधान संस्थान,
पुणे ।

22. प्रो० पी० के० बोस — गैर सरकारी सदस्य
निदेशक,
संसाधन कार्मिक विकास संस्थान,
विश्वविद्यालीय विज्ञान कालेज,
कलकत्ता ।

23. डा० एम० बी० बुच — गैर सरकारी सदस्य
शिक्षा विभाग के भूतपूर्व प्रमुख,
46, हरीनगर गोतरी रोड,
बड़ौदा ।

24. डा० एम० के० प्रेमी — गैर सरकारी सदस्य
प्रोफेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

25. उप निदेशक (सांख्यिकी) — सदस्य सचिव
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

2. क्रम सं० 15–17 में दिए गए तीन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों को प्रत्येक वर्ष उल्टे वर्णक्रम में बारी-बारी के आधार पर नामांकित किया जाएगा ।

3. क्रम सं० 18 से 20 में तीन राज्यों और संघ शासित राज्यों के डी० पी० आई०/डी० ई० एस० को प्रत्येक वर्ष वर्णक्रम में बारी-बारी के आधार पर नामांकित किया जाएगा ।

4. पांच गैर सरकारी सदस्यों (जिनमें से चार को इस समय नामांकित किया जा रहा है) को भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जाएगा ।

5. पुनर्गठित स्थायी समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :--

(क) मंत्रालय द्वारा समय-समय पर शैक्षिक आंकड़े एकत्र करने की प्रगति की समीक्षा करना और शैक्षिक आंकड़े एकत्र करने और शैक्षिक आंकड़ों के प्रकाशन में लगने वाले समय को कम करने के तरीकों के संबंध में सुझाव देना ।

(ख) मंत्रालय द्वारा शुरू किए जाने वाले विषय-उन्मुख अध्ययनों और आवधिक अध्ययनों के लिए विषयों और प्रणाली विज्ञान का सुझाव देना और अनुमोदन करना ।

(ग) उन विषयों की सूची का सुझाव देना जिनके लिए आंकड़े आवधिक आधार पर एकत्र किए जाने चाहिए ।

(घ) सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करने तथा उनका प्रसार करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था में सुधार करने के लिए सुझाव देना ।

6. मंत्रालय के शिक्षा विभाग के आयोजना, मानिटरिंग और सांख्यिकीय प्रभाग द्वारा स्थायी समिति को सचिवालीय सहायता उपलब्ध की जायेगी ।

7. स्थायी शैक्षिक सांख्यिकी समिति को गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते के भुगतान का व्यय मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी नियमों के आधार पर वहन किया जाएगा ।

पी० के० पटनायक
संयुक्त सचिव (आयोजना)

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1986

संकल्प

सं० ई० 11015/2/85-हिन्दी--तत्कालीन समाज कल्याण मंत्रालय के दिनांक 23 अक्तूबर, 1982 के संकल्प सं० ई० 11015/1/79-हिन्दी के अधिक्रमण में भारत सरकार ने कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन का निर्णय किया है। इस समिति का गठन और कार्य इस प्रकार होंगे :--

गठन :

कल्याण राज्य मंत्री — अध्यक्ष

कल्याण उप मंत्री — उपाध्यक्ष

लोक सभा के दो संसद सदस्य

1. श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी — सदस्य
2. डा० (कुमारी) ममता बेनर्जी — सदस्य

राज्य सभा के दो संसद सदस्य

3. श्री सुनील कुमार पटनायक — सदस्य
4. श्री गोविन्द दास रिछारिया — सदस्य

हिन्दी से सम्बद्ध स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि

अध्यक्ष — सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय
हिन्दी परिषद
नई दिल्ली

अन्य गैर-सरकारी सदस्य
कल्याण मंत्रालय के कार्य से
सम्बद्ध दो प्रमुख व्यक्ति

6. डा० टी० के० सरला देवी — सदस्य
ओके कारियिल,
कारियिल रोड,
कोचीन-18 (केरल)

7. डा० श्याम किशोर मिश्र — सदस्य
मोहार बाग, सीतापुर

संसदीय राजभाषा समिति के 2 सदस्य (प्रतिनिधि)

8. श्री इन्द्रदीप सिन्हा — सदस्य
संसद सदस्य

9. पृथ्वीचन्द्र किस्कू, संसद सदस्य — सदस्य

ऐसे वर्गों या क्षेत्रों के प्रतिनिधि जिन्हें समुचित प्रतिनिधित्व न मिल पाया हो

10. श्री एम० सी० बाजपेयी
सचिव,
भूमि और इमारत,
स्थानीय स्वशासन,
लोक निर्माण विभाग,
दिल्ली प्रशासन, विकास भवन,
नई दिल्ली। — सदस्य

11. श्री माधव वमन पंडित,
उपाध्यक्ष, गोमंतक राष्ट्रभाषा
विद्यापीठ एवं संपादक "गोमंचल"
गोआ। — सदस्य

कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि — सदस्य

12. सचिव
13. अपर सचिव — सदस्य
14. संयुक्त सचिव (न) — सदस्य
15. संयुक्त सचिव (टी० डी०) — सदस्य
16. संयुक्त सचिव (एस० सी० बी० सी० डी०) — सदस्य
17. संयुक्त सचिव (भ०) — सदस्य
18. संयुक्त सचिव (एस० डी०) — सदस्य

19. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) — सदस्य

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि

20. सचिव
राजभाषा विभाग
एवं भारत सरकार के हिन्दी
सलाहकार — सदस्य

21. संयुक्त सचिव,
राजभाषा विभाग — सदस्य

कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों के प्रतिनिधि

22. सचिव
अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति आयोग,
लोक नायक भवन,
नई दिल्ली। — सदस्य

23. उपायुक्त,
अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति आयुक्त
का कार्यालय,
आर० के० पुरम,
नई दिल्ली। — सदस्य

24. निदेशक
राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान,
नई दिल्ली। — सदस्य

25. निदेशक
राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान,
देहरादून। — सदस्य

26. प्रिंसीपल,
मंद बुद्धि बच्चों के लिए
माडल स्कूल, लाजपत नगर,
नई दिल्ली। — सदस्य

27. निदेशक,
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण
निगम,
कानपुर। — सदस्य

28. निदेशक,
विकलांग जन संस्थान,
नई दिल्ली। — सदस्य

29. निदेशक,
राष्ट्रीय अस्थि विकलांग
संस्थान,
कलकत्ता। — सदस्य

30. निदेशक,
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग
संस्थान,
सिकन्दराबाद। — सदस्य

31. निदेशक,
अली यावर जंग राष्ट्रीय
श्रवण विकलांग संस्थान,
बम्बई। — सदस्य

32. निदेशक,
राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण
और अनुसंधान संस्थान,
कटक। — सदस्य

2. कार्य :

समिति कल्याण मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों के सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों तथा इन से संबंधित आनुषंगिक और प्रासंगिक मामलों पर सलाह देगी।

3. कार्यकाल :

समिति के सदस्यों का कार्यकाल साधारणतया इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा बशर्ते कि :--

(1) लोक सभा और राज्य सभा से मनोनीत सदस्यों की सदस्यता उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगी।

(2) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक बने रहेंगे जब तक वे उस पद पर कार्य कर रहे हैं, जिस के नाते वह इस समिति के सदस्य हैं।

(3) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि से कोई रिक्ति होती है तो इस रिक्ति में नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

4. सामान्य :

(1) समिति अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है।

(2) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

5 गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्री मण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधान वेतन एवं लेखा अधिकारी, कल्याण मंत्रालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए० भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 12th September 1986

No. 72-Press/86.—The President is pleased to institute a medal to recognise the services of the Armed Forces Personnel serving in high altitude areas and in this behalf, to make, ordain and establish the following ordinances which shall be deemed to have effect from the first day of April in the year one thousand nine hundred and eighty-four.

Firstly—The medal shall be styled and designated the "UCCHH TUNGTA MEDAL" (HIGH ALTITUDE MEDAL) (hereinafter referred to as the medal).

Secondly—The medal shall be circular in shape, made of cupro-nickle, 35 millimetre in diameter and fitted to a plain horizontal bar. It shall have embossed on the obverse the State Emblem with its motto and the inscription "Ucchh Tungta Medal" "उच्च तुंगता मैडल" on both sides of the State Emblem along the rim. On its reverse it shall have the representations of the mountains.

Thirdly—The medal shall be worn suspended from the left breast by a silk ribbon which shall be of 32 mm in width of Azure Blue colour background wtih white diagonal reverse V Shape stripes of 2 millimetres in width with distance of 5 millimetres between the two stripes.

Fourthly—The medal shall be awarded posthumously also.

Fifthly—The categories of personnel eligible for the award shall be :—

(a) Commissioned Officers, Junior Commissioned Officers, Other Ranks and Non-Combatants (enrolled) of the Regular Army embodied Auxiliary and Reserve Forces or any other lawfully constituted Armed Forces.

(b) Nursing Officers and other members of Nursing Services in the Armed Forces.

Sixthly—The conditions of eligibility for the award shall be as follows :—

(a) Personnel who have been detailed for duties connected with the defence of the borders and who have completed an aggregate service of 180 days during first spell of tenure on the active strength of a unit/formation in the areas where high altitude allowance is admissible commencing from 1st April, 1984.

(b) Air crew personnel and personnel of ejection crew of Air maintenance units who carried out a minimum of 10 sorties or 40 hours of flying on transport support roles from 1st April, 1984.

Sevently—The miniature medal made of cupro-nickle which may be worn on certain occassions by the recipients shall be half the size of the medal and a sealed pattern of the said miniature medal shall be kept and deposited.

Eightly—It shall be competent for the President to cancel and annul the award of the medal to any person and also to restore it subsequently.

Ninthly—It shall be competent for the Government to frame such instructions as may be necessary to carry out the purposes of these ordinances.

Tenthly—The medal is instituted in lieu of the clasp "Himalaya" to Sainya Seva Medal. Consequently the President's Secretariat Notification No. 32-Pres/60, dated 17h June, 1960 may be treated as cancelled in so far as it relates to clasp "Himalaya".

S. NILAKANTAN, Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 5th September 1986

RESOLUTION

No. 20012/1/84-Hindi-II.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 20012/1/84-Hindi-II, dated 26th June, 1985. Government of India nominate Smt. Veena Verma, member, Rajya Sabha as non-official Member of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Home Affairs.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Members of the Samiti, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Comptroller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

M. M. SHARMA, Member-Secretary,
Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of
Home Affairs & Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 21st August 1986

ADDENDA

No. 14/13/82-EPZ.—In this Ministry's Notification No. 14/13/82-EPZ dated 4-1-1984 published in the Gazette of India Part I Section I No. 5 dated 4th February, 1984, the following may be added in the list of members as S. No. 11 :—

11. Secretary Indian Investment Centre.

The existing S. No. 11 under Member-Secretary renumbered as S. No. 12.

The 28th August 1986

No. 14/15/82-EPZ.—In this Ministry's Notification No. 14/15/82-EPZ dated 30-1-1984 published in the Gazette of India Part I Section I No. 8 dated 25-2-1984, the following may be added in the list of Members as S. No. 12 :—

12. Secretary, Indian Investment Centre—Member.

C. G. LAL, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 2nd September 1986

RESOLUTION

No. 4(1)/85-KVI(I).—The Government of India have set up a Review Committee under the Chairmanship of Shri M. Ramakrishnayya, to review the role and performance of Khadi and Village Industries Commission vide Resolution dated 18th February, 1985. The term of the Committee was extended upto 30th September, 1986. It has now been decided to further extend the term of the Committee till 31st January, 1987.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution may be communicated to :—

1. All Members of the Committee.
2. Chairman, KVIC, Bombay.
3. Chief Executive Officer, KVIC, Bombay.
4. Ministry of Finance, New Delhi.
5. Planning Commission, VSI Division, New Delhi.

ORDERED also that the resolution may be published in the Gazette of India for general information.

G. D. MEHROTRA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-1, the 3rd September 1986

ORDER

No. 27/9/85-CL.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (I) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise Shri G. B. Saxena, Inspecting Officer, in the Department of Company Affairs for the purpose of said section 209-A.

CORRIGENDA

No. 27/9/85-CL.II.—In this Office Order of even number dated 29-10-1985 the name appearing at serial No. 4 as "Shri Ujjway Roy", may be read as "Shri Ujjwal Roy".

No. 27/9/85-CL.II.—In this Office Order of even number dated 3-7-1986 the name appearing at serial No. 8 as "Shri E. Selvaraj" may be read as "Shri V. Selvaraj".

R. D. MAKHEEJA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPTT. OF AGRI. & COOPERATION)

New Delhi, the 4th September 1986

RESOLUTION

No. 48(8)/81-Sheep.—In continuation of this Ministry's resolution No. 48(8)/81-Sheep dated the 3rd January, 1986 to be read with resolution No. 48(8)/81-Sheep dated the 8th November, 1985 reconstituting the Central Sheep Development Advisory Council, Government of India have decided to nominate Shri M. Basavaraju of Karnataka as non-official member representing farmer's interest.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories, Ministries/Departments of the Govt. of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Sectt., and Rajya Sabha Sectt.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. P. VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 4th July 1986

No. F. 10-2/86-Stat.—The Government of India hereby reconstitutes the Standing Committee on Educational Statistics with effect from 1st January, 1986 with following membership.

Chairman

1. Joint Secretary (Planning)
Department of Education
Ministry of Human Resource Development

Members

2. Joint Secretary (University)
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
3. Joint Secretary (School)
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
4. Director (Planning)
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
5. Deputy Education Adviser
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
6. Joint Director
NCERT, Sri Aurobindo Marg
7. Professor and Head of Survey & Data Processing Unit,
NCERT, Sri Aurobindo Marg
8. Director
NIEPA, 17B Sri Aurobindo Marg
9. Adviser (Education)
Planning Commission
10. Secretary
University Grants Commission
11. Joint Director
Central Statistical Organisation
12. Adviser (Research)
Institute of Applied Manpower Research
13. A represenative from National Informatics Centre
14. Director (Adult Education)
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
15. Education Secretary
Bihar Government
16. Education Secretary
Gujarat Government
17. Education Secretary
Haryana Government
18. Director (Primary & Secondary Education)
Rajasthan Government
19. Joint Director, (Education)
Sikkim Government
20. Director of School Education
Tamil Nadu Government

Non-Official Members

21. Dr. J. G. Krishnayya
Executive Director
System Research Institute,
Pune.
22. Prof. P. K. Bose
Director,
Institute for Development of Resource Personnel, University College of Sciences, Calcutta.
23. Dr. M. B. Buch
Former Head of Education Department, 46, Harinagar, Gotri Road, Baroda.
24. Dr. M. K. Premi
Prof. Centre for the study of Regional Development, Jawahar Lal University.

Member-Secretary

25. Deputy Director (Statistics)
Department of Education
Ministry of Human Resource Development

2. Education Secretaries of three States and Union Territories at S. Nos. 15-17 are to be nominated every year on rotation basis in reverse alphabetical order.

3. DPIs/DES of three states and Union Territories at S. No. 18-20 are to be nominated every year on rotation basis in alphabetical order.

4. Five non-official members (Four of whom only are being nominated at present) are to be nominated by the Government of India for a period of three years.

5. The functions of the reconstituted Standing Committee will be as under:

(a) To review the progress of collection of Educational Statistics by the Minisry periodically and suggest the ways and means to reduce the time lag in the collection and publication of Educational Statistics.

(b) To suggest and to approve the topics and methodologies for the theme-oriented studies and periodical studies to be under taken by the Ministry.

(c) To suggest the list of items on which collection should be done on periodical basis.

(d) To make suggestions for improving the organisational arrangements for collection and dissemination of Educational data.

(e) Any other related matter.

6. Secretarial assistance to the Standing Committee will be provided by Planning, Monitoring and Statistics Division of the Department of Education of the Ministry.

7. The expenditure towards the payment of T.A./D.A. to the non-official members of the Standing Committee on Educational statistics will be met by Department of Education of the Ministry as per Government rules.

P. K. PATNAIK, Jt. Secy. (Plg.)

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 28th August 1986

RESOLUTION

No. E-11015/2/85-Hindi.—In supersession of the then Ministry of Social Welfare Resolution No. E-11015/1/79-Hindi dated 23rd October, 1982, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Welfare. The composition and function of the Committee shall be as follows :—

Composition :

Chairman

Minister of State for Welfare

Vice-Chairman

Deputy Minister for Welfare

Two Members of Parliament from Lok Sabha

Members

1. Smt. Chandra Tripathi.
2. Dr. (Miss) Mamta Banerjee.

Two Members of Parliament from Rajya Sabha

Members

3. Shri Sunil Kumar Patnaik.
4. Shri Govind Das Richhariya.

Representatives of Voluntary Oranisation concerning Hindi

Member

5. President
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad
New Delhi.

Other Non-official Members

2 eminent persons concerned with the work of Welfare

6. Dr. T. K. Sarala Devi,
Thekke Kariyil,
Kariyil Road, Cochin-18 (Kerala).
7. Dr. Shyam Kishore Mishra,
Loharbagh, Sitapur.

2 Members (representatives) of the Parliamentary Committee on Official Languages

8. Shri Inderdeep Sinha, M.P.
9. Shri Prithvi Chand Kisku, M.P.

Members to give representation to the interests not otherwise represented

10. Shri S. C. Bajpai,
Secretary,
Land and Buildings,
Local Self Government,
Public Works Department, Delhi Aministration,
Vikas Bhavan, New Delhi.
11. Shri Madhav Vaman Pandit,
Vice-President,
Gomantak Rashtra Bhasha
Vidyapeeth and Editor "Gomanchal",
Goa.

Representatives of the Ministry of Welfare

Members

12. Secretary
13. Additional Secretary
14. Joint Secretary (N)
15. Joint Secretary (TD)
16. Joint Secretary (SCBCD)
17. Joint Secretary (B)—*Member Secretary*

Member

18. Joint Secretary (SD)
19. Director/Deputy Secretary (A).

Representatives of the Department of Official Language

Members

20. Secretary,
Department of Official Language
and Hindi Adviser to the Government of India
21. Joint Secretary,
Department of Official Language

Representatives of Subordinate Offices/Organisations of the Ministry of Welfare

Members

22. Secretary,
Commission for Scheduled Castes &
Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhavan,
New Delhi.
23. Deputy Commissioner,
Office of the Commissioner for
Scheduled Castes and Scheduled Tribes,
R.K. Puram, New Delhi.
24. Director,
National Institute of Social Defence,
New Delhi.
25. Director,
National Institute for
Visually Handicapped, Dehradun.
26. Principal,
Model School for Mentally Deficient
Children, Lajpat Nagar, New Delhi.
27. Director,
Artificial Limbs Manufacturing
Corporation of India, Kanpur.
28. Director,
Institute for Physically Handicapped,
New Delhi.
29. Director,
National Institute of Orthopaedically
Handicapped, Calcutta.
30. Director,
National Institute for the Mentally
Handicapped, Secunderabad.
31. Director,
Ali Yavar Jung National Institute
for the Hearing Handicapped,
Bombay.
32. Director,
National Institute for Rehabilitation,
Training & Research, Cuttack.

II. *Functions*

The Samiti shall advise the Ministry of Welfare and its Subordinate Offices/Organisations on matters relating to the progressive use of Hindi for official purpose and on matters ancilliary and incidental to the above.

III. *Tenure*

The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its reconstitution provided that :—

(i) members nominated from Lok Sabha and Rajya Sabha shall cease to be member of the Samiti as soon as they cease to be Member of Parliament;

(ii) the ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti;

(iii) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of three years.

IV. *General*

(i) The Committee may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings as may be necessary from time to time.

(ii) The headquarters of the Committee shall be at New Delhi.

V. The non-official members will be paid travelling and daily allowance for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Principal Pay and Accounts Officer, Ministry of Welfare, and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. BHATTACHARJYA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, 1986